BBNJ संधि

[स्रोत: डाउन टू अर्थ]

[राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैवविविधिता] पर **बलू लीडर्स उच्च-स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम** में हुआ, जिसने राष्ट्रों को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की [समुद्री जैवविविधिता संधि] की पुष्टि करने के लिये प्रोत्साहित किया, जिसका उद्देश्य उच्च समुद्रों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाना है।

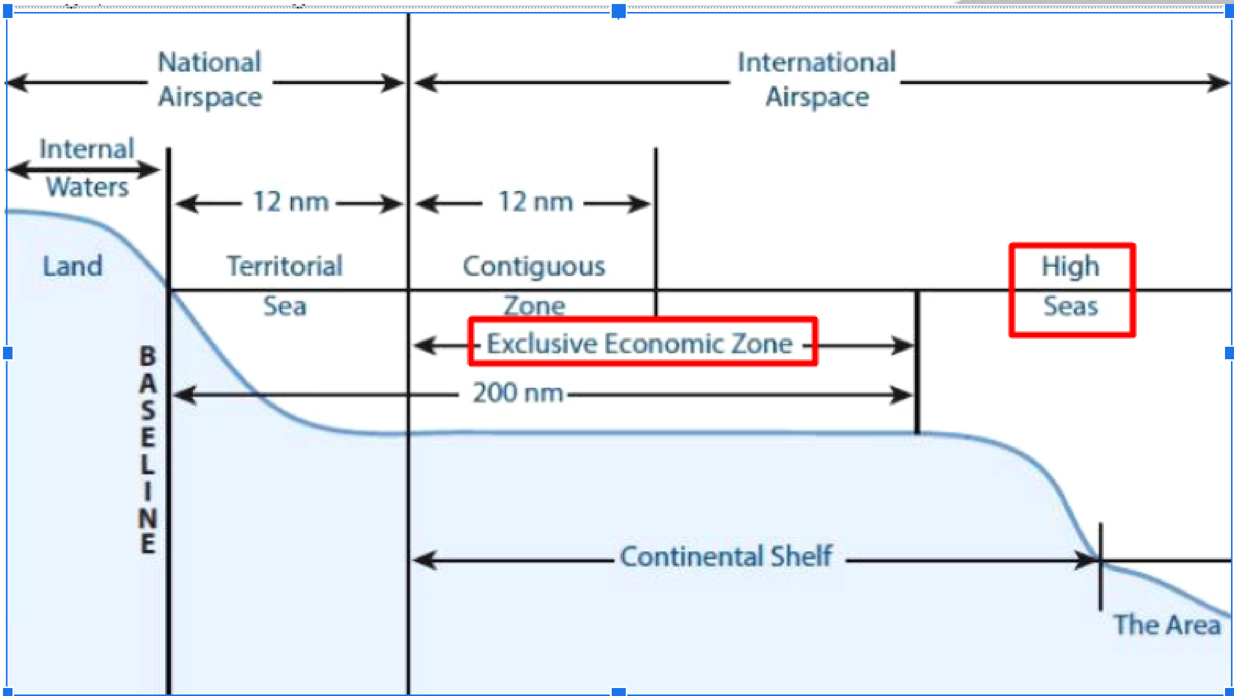

BBNJ संधि क्या है?

- **परिचय:**
  - BBNJ संधि जिसे आमतौर पर **उच्च समुद्र की संधि** के रूप में जाना जाता है, पर **राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे** क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधिता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिये मार्च 2023 में सहमति व्यक्त की गई थी।
    - यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधिता के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
- **अनुसमर्थन प्रगति:**
  - संधि का उद्देश्य उच्च समुद्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जो तटीय देशों के [विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों] से **200 समुद्री मील से अधिक के क्षेत्रों का गठन** करते हैं।
    - अब तक 88 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, केवल **चिली और पलाऊ ही ऐसे दो देश हैं जिन्होंने इसका अनुमोदन किया है।**
    - हालाँकि इसे लागू करने के लिये कम-से-कम 60 अनुसमर्थन आवश्यक हैं।
- **उद्देश्य:**
  - यह **संधि उच्च समुद्रों पर संरक्षित क्षेत्रों के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास** करती है, जो **वैश्विक महासागर के दो-तिहाई से**

अधिक हिस्से को कवर करने के बावजूद वर्तमान में **केवल 1.44%** है।

- इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGR)** से मुनाफे का उचित और न्यायसंगत बँटवारा सुनिश्चित करना तथा **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** आयोजित करने के लिये नियम स्थापित करना है जो समुद्र पर किसी गतिविधि के संभावित प्रभावों की पहचान एवं मूल्यांकन करने से संबंधित है।
- यह **30x30 लक्ष्य** के अनुरूप है, यह वर्ष 2030 तक ग्रह के कम-से-कम 30% हिस्से की प्रकृति की रक्षा करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। वर्ष 2022 में जैविक विविधता पर **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन (COP15) में जैविक विविधता पर कन्वेंशन** में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी और इसे **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क** में शामिल किया गया है।

- **चुनौतियाँ:**
  - संधि के लिये **व्यापक समर्थन के बावजूद, अनुसमर्थन में संभावित देरी के बारे में चिंताएँ** बनी हुई हैं, जो **संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन** जैसे समान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के सामने आने वाली पिछली चुनौतियों की प्रतिध्वनि है।
  - इसके अतिरिक्त संधि को क्रियान्वित करने में प्रक्रियात्मक ढाँचे को परिभाषित करने के साथ-साथ पर्याप्त धन प्राप्त करने सहित तार्किक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- संधि के लागू होने और उसके बाद कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासों के लिये ठोस वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
- वर्ष 2025 में आगामी **संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन** को इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में पहचाना गया है।

दृष्टि The Vision

UN हाई सी ट्रीटी

"BBNJ संधि" जिसे "ट्रीटी ऑफ द हाई सी" के रूप में भी जाना जाता है,

UNCLOS के ढाँचे के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहली बार, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिये एक एकीकृत (कानूनी रूप से बाध्यकारी) संधि पर सहमति व्यक्त की है

हाई सी (High Seas-HS): संपूर्ण पृथ्वी के सभी खारे जल के वे निकाय जो किसी राज्य के क्षेत्रीय समुद्र/आंतरिक जल का हिस्सा नहीं हैं

संधि की पृष्ठभूमि: हाई सी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिये एक अद्यतन ढाँचे की मांग, लगभग 20 साल पुरानी है

HS की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों

- वर्तमान में केवल 1.2% HSs संरक्षित हैं
- विलुप्त होने के जोखिम में वैश्विक समुद्री प्रजातियों का 10%
- वाणिज्यिक मछली पकड़ने, खनन, अम्लीकरण, प्रदूषण के कारण खतरे में वृद्धि

महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1982 में हस्ताक्षरित था

यह संधि UNCLOS के तहत तीसरा "कार्यान्वयन समझौता" है

प्रमुख बिंदु

- महासागरीय जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और हाई सी में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिये एक नई संस्था का निर्माण
- महासागरों में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये EIAs के संचालन हेतु ज़मीनी नियमों का निर्माण

प्रमुख देश

यूरोपीय संघ, यूएस, यूके और चीन (समझौते की ब्रोकरिंग में)

महत्त्व

- UN CBD COP15 पर 30x30 लक्ष्य सेट प्राप्त करना
- महासागर के ⅔ (+ तटीय समुदायों की आजीविका) का कानूनी संरक्षण
- पृथ्वी की सतह पर >40% लुप्तप्राय प्रजातियों/आवासों की व्यापक सुरक्षा

रोडब्लॉक

विकसित/विकासशील राष्ट्रों के बीच समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGR) और अंतिम लाभ कैसे साझा करें

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र हमारे सांस लेने हेतु आवश्यक लगभग आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ग्रह के 95% बायोस्फीयर का प्रतिनिधित्व करते हैं और CO_2 (दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक) को अवशोषित करते हैं

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय के संदर्भ में नम्नलिखिति कथनों पर वचािर कीजयि: (2022)

1. कसिी तटीय राज्य को अपने प्रादेशकि समुद्र की चौड़ाई को आधार-रेखा से मापति, 12 समुद्री मील से अनाधकि सीमा तक अभसिमय के अनुरूप

सुस्थापति करने का अधकिार है।

2. सभी राज्यों, चाहे वे तटीय हों अथवा भूमि-बिद्ध भाग हों, के जहाज़ों को प्रादेशकि समुद्र से होकर बनिा कसिी रोकटोक यात्रा का अधकिार होता है।

3. अनन्य आर्थकि क्षेत्र का वसि्तार उस आधार रेखा से से 200 समुद्री मील से अधकि नहीं होगा, जहाँ से प्रादेशकि समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bbnj-treaty-1